

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

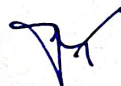
-::कार्यालय आदेश ::-

का०आ०सं०- यो०स्था०७/१-०६/२०२५ (पार्ट) 2721/यो०वि०, पटना, दिनांक 19 मई, 2025

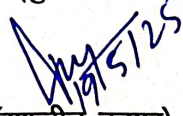
दिनांक-21.04.2025 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही के आलोक में निम्न 17 कनीय अभियंताओं (असैनिक) की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर गृह विभाग (बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम), बिहार, पटना को अगले आदेश तक सौपा जाता है:-

क्र०	समेकित क्र० सं०	पंजीयन सं०	नाम	जन्म तिथि	गृह जिला
1	11703	BR00150010082465	सुश्री/श्रीमती ज्योति कुमारी	15.02.1987	पटना
2	583	BR00150010055512	श्री राज कुमार	19.01.1977	पटना
3	995	BR00150010074391	श्री रविन्द्र कुमार	15.01.1978	नालंदा
4	1528	BR00150010051101	श्री रोशन रंजन	01.12.1971	नालंदा
5	772	BR00150010058126	सुश्री/श्रीमती सोम्या श्रुष्टि	10.02.1998	मधुबनी
6	528	BR00150010055042	श्री रविन्द्र कुमार यादव	26.01.1973	औरंगाबाद
7	891	BR00150010046442	श्री अमरेन्द्र कुमार	03.07.1985	औरंगाबाद
8	1034	BR00150010063863	श्री धीरज कुमार	06.07.1986	पटना
9	1064	BR00150010067266	श्री वीरेन्द्र कुमार	15.05.1984	मुजफ्फरपुर
10	1119	BR00150010064126	श्री राजीव रंजन	21.10.1985	वैशाली
11	1173	BR00150010066952	श्री धर्मेन्द्र कुमार रमन	15.01.1985	भागलपुर
12	1225	BR00150010063007	श्री कौशल कुमार	28.02.1981	मधुबनी
13	1351	BR00150010020947	मो० अरसद आलम	04.10.1983	जहानाबाद
14	1365	BR00150010062969	श्री अरुण कुमार	01.03.1978	समस्तीपुर
15	1388	BR00150010054569	श्री रविन्द्र कुमार	01.01.1986	नालंदा
16	1470	BR00150010054335	श्री विनोद राम	06.05.1986	औरंगाबाद
17	1661	BR00150010050329	श्री रंजीत कुमार	21.01.1984	भागलपुर

- यह पदस्थापन नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) के द्वारा समर्पित सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं तथा शपथ-पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों को सही मानते हुए की जा रही है। यदि भविष्य में उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाती है तो इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। संबंधित कार्यालय/विभाग अपने स्तर से भी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं की शैक्षणिक प्रमाण पत्र/अभिलेखों की जाँच कर लेंगे।
- यह पदस्थापन नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) के पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही हैं। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।
- सभी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) को निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक-30.05.2025 तक नव पदस्थापित कार्यालय/विभाग में शैक्षणिक योग्यता, आवासीय प्रमाण पत्र, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी शपथ पत्र, तकनीकी त्याग पत्र की स्वीकृति तथा

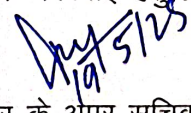


- विरमन आदेश (मूल में) एवं अन्य वांछित कागजात की स्व-अभिप्रमाणित प्रति के साथ योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
5. सभी नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) का वेतनादि का भुगतान उनके पदस्थापित विभाग गृह विभाग (बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम) से भुगतेय होगा। दिनांक-30.05.2025 तक योगदान की स्थिति में वेतन योजना एवं विकास विभाग में योगदान की तिथि से देय होगा। दिनांक-30.05.2025 के बाद जिस तिथि से पदस्थापित विभाग में योगदान देंगे उस तिथि से वेतन देय होगा।
 6. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि उनके विभाग में पदस्थापित कनीय अभियंताओं (असैनिक) का योगदान प्रतिवेदन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
 7. संबंधित विभाग को यह निदेशित किया जाता है कि पूर्व से नियोजित/सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान में कार्यरत नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) की योगदान की स्वीकृति एवं वेतनादि की निकासी की कार्रवाई पूर्व में कार्यरत संस्थान के सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/विरमन पत्र की प्रति प्राप्त करने के पश्चात् करेंगे एवं इसकी सूचना इस विभाग को भी उपलब्ध करायेगें।
 8. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) का तीन माह के लिए औपबधिक रूप से योगदान स्वीकृति करेंगे तथा नियुक्ति प्राधिकार से नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि करा लेंगे। यदि तीन माह के अन्दर यह सम्पुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) की वेतनादि का भुगतान तब तक नहीं की जायेगी जब तक योजना एवं विकास विभाग से इनकी नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि नहीं हो जाती है।
 9. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 दिनांक-03.07.2007 के अनुसार नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) का नई अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत स्थायी सेवानिवृत्ति लेखा संख्या-(PRAN No.) निश्चित रूप से सृजित कर लिया जाय।
 10. अधियाचित विभाग के अन्तर्गत कनीय अभियंता की नियमित नियुक्ति अथवा अन्य स्रोत से सेवा प्राप्त होने के उपरांत प्रतिनियुक्त कनीय अभियंताओं की सेवा उनके पैतृक विभाग को वापस कर दी जायेगी।
 11. प्रतिनियुक्त कनीय अभियंताओं के वेतनादि का भुगतान संबंधित विभाग, जहाँ वे प्रतिनियुक्त होंगे, के द्वारा किया जायेगा।
 12. प्रतिनियुक्त कनीय अभियंताओं के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई संबंधित विभाग, जहाँ वे प्रतिनियुक्त होंगे, के स्तर से की जा सकेगी परन्तु यदि अनुशासनिक कार्यवाही का मामला बनता है तो उनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर संबंधित पैतृक विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
 13. नव पदस्थापित कार्यालय में योगदान करने के लिए कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।
 14. भविष्य में किसी प्रकार के त्रुटि अथवा पार्थक्याता पाये जाने पर इसे तदनुसार संशोधित/रद्द कर दिया जायेगा।


(रणजीत कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो0स्था07/1-06/2025 (पार्ट) 2721/यो0वि0, पटना, दिनांक 19 मई, 2025
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0), विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:
प्रतिलिपि:

यो0स्था07 / 1-06 / 2025 (पार्ट) 2721 / यो0वि0, पटना, दिनांक 19 मई, 2025
माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/प्रधान सचिव,
योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/गृह
विभाग (बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम)/जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, लघु
जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण
संगठन, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार/सभी
कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार/सभी संबंधित प्रशाखा
पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-
प्रतिलिपि:-

यो0स्था07 / 1-06 / 2025 (पार्ट) 2721 / यो0वि0, पटना, दिनांक 19 मई, 2025
प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के
असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/अधीक्षक/राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-07 को
भेजने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:
प्रतिलिपि:

यो0स्था07 / 1-06 / 2025 (पार्ट) 2721 / यो0वि0, पटना, दिनांक 19 मई, 2025
सभी संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:
प्रतिलिपि:

यो0स्था07 / 1-06 / 2025 (पार्ट) 2721 / यो0वि0, पटना, दिनांक 19 मई, 2025
विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव